न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 103/2019 राजस्व वाद

दलपत सिंह पिता हरीसिंह जी जाति राजपूत आयु 72 वर्ष निवासी सरडाया, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. किशनसिंह पिता हरीसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सरडाया, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. देवसिंह पिता हरीसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सरडाया, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा।

.....प्रतिवादीगण

वाद इन्द्राज दुरूस्ती बाबत्।

उपस्थित : 1. ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता वादी।

2. प्रमोद कुमार वशिष्ठ, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 2।

: : **निर्णय** : :

दिनांक :–20.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से यह वाद इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम गोरेला तहसील नाथद्वारा मे परिशिष्ठ 'क' खाता सं. 24 मे कुल आराजी किता 26 कुल रकबा 22–13 बीघा, परिशिष्ठ 'ख' खाता सं. 25 मे कुल आराजी किता 12 कुल रकबा 16–19 बीघा, परिशिष्ठ 'ग' खाता सं. 22 मे कुल आराजी किता 2 कुल रकबा 00–06 बीघा एवं परिशिष्ठ 'घ' खाता सं. 23 मे कुल आराजी किता 1 कुल रकबा 0–01 बीघा कृषि भूमिया स्थित है। उक्त आराजीयात वर्तमान जमाबन्दी मे वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार अंकित है।यह कि वाद की कलम सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमियो का अभी तक विभाजन नही हुआ है तथा संयुक्त शामलात कृषि भूमिया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:–

हरिसिंह (फोत)

किशनसिंह देवी सिंह दलपतसिंह (दलेलसिंह)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

वादी दलपतसिंह को गांव एवं घर मे दलपतसिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम दलेलसिंह पिता हरीसिंह अंकित है। जबकि वादी के परिवार के राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन पहचान पत्र, खान भू विज्ञान राजस्थान उदयपुर का परिचय पत्र एवं राजस्व ग्राम पीपलवास के खाता सं. 57, 58 मे भी वादी का नाम दलपत सिंह पिता स्व0 हरीसिंह नाम अंकित है। वादी को गांव एवं घर दलपत सिंह के नाम से ही पहचाना जाता है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे दलेलसिंह पिता हरीसिंह अंकित होने से भविष्य मे कोई विवाद उत्पन्न नही हो तथा सभी दस्तावेजो मे अलग–अलग नाम से लेकर कोई विवाद नही हो इसलिये वादी राजस्व रेकार्ड मे भी दलेलसिंह पिता हरीसिंह के बजाय दलपतसिंह पिता हरीसिंह नाम अंकित कराना चाहता है तथा इसी नाम की राजस्व रेकार्ड मे घोषणा कराने का अधिकारी है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दलेलसिंह पिता हरीसिंह अंकित है। अन्य सभी दस्तावेज दलपत सिंह पिता हरीसिंह नाम अंकित है जबकि दोनो नाम को लेकर विवाद नही हो इसलिये वादी राजस्व रेकार्ड मे दलपतसिंह पिता हरीसिंह इन्द्राज दुरूस्त कराने का भी अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 03.08.2019 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपने खाते की नकल लेकर ईमित्र पर गया तथा किसान सम्मान निधि योजना मे मिलने वाले लाभ के लिये आवेदन करने गया तो ईमित्र वाले ने कहा कि दोनो नाम अलग–अलग होने से आपको उक्त योजना मे लाभ नही मिल सकता। इसलिये वाद कारण उत्पन्न हो आज भी जारी है। कि वाद मे वर्णित प्रतिवादी सं. 1 से 2 को इसलिये पक्षकार बनाया गया है कि वाद घोषणा का है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा आवश्यक पक्षकार होने से इन्हे पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध कोई प्रतिकर नही चाहा गया है। प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार साहब नाथद्वारा भूमि धारी होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। इनके विरूद्ध कोई प्रतिकर नही चाहा गया है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे इस आशय की घोषणा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वाद की पेरा सं. 1 के परिशिष्ठ 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' मे वर्णित कृषि भूमियो मे वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दलेलसिंह पिता हरीसिंह दर्ज है उस नाम के बजाय दलपत सिंह पिता हरीसिंह घोषित फरमाई जाने की डिक्री पारित फरमाई जावे एवं तद्नुसार राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरूस्ती की आज्ञा प्रदान कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 मय अधिवक्ता उपिस्थत। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के वाद मे चाही गई दाद पर कोई आपत्ति जाहिर नही कर वाद मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुये वाद मे राजीनामे से डिक्री पारित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। राजस्व ग्राम गोरेला तहसील नाथद्वारा के

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

खाता सं. 22, 23, 24 एवं 25 मे दलेलसिंह सहखातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है परन्तु हरीसिंह के दलेलसिंह नाम का कोई पुत्र नही हुआ। इसलिये दलेलसिंह पिता हरीसिंह नाम का कोई व्यक्ति नही है। राजस्व कर्मचारियो की भूलवश दलेलसिंह नाम अंकित हो गया है जबकि दलपतसिंह पिता हरीसिंह अंकित कर इन्द्राज दुरूस्त कराने एवं तदुपरान्त वाद की कलम सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमियो मे दलेलसिंह के स्थान पर दलपतसिंह नाम की घोषणा कराने पर कोई आपत्ति नही होकर अपनी सहमति प्रदान की है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम गोरेला तहसील नाथद्वारा के खाता सं. 22, 23, 24 एवं 25 मे दलेलसिंह दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार होना पाया गया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 जो कि वादी के भाई है ने राजीनामा प्रस्तुत कर दलेलसिंह के स्थान पर दलपतसिंह नाम अंकित किये जाने पर कोई आपत्ति नही होने एवं सरपंच ग्राम पंचायत नेगडिया द्वारा जारी अनुशंषा पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं खान एवं भू–विज्ञान राजस्थान उदयपुर का परिचय पत्र आदि दस्तावेजो के अवलोकन से दलपतसिंह हरीसिंह का पुत्र होना साबित होता है एवं राजस्व ग्राम पीपलवास तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2070–73 एवं राजस्व ग्राम दाडमी तहसील नाथद्वारा मे भी दलपतसिंह पिता हरीसिंह दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार है होना प्रकट होता है। अतः वादी इन्द्राज दुरूस्त करने का अधिकारी साबित होता है एवं बाद इन्द्राज दुरूस्ती वादी अपने नाम की घोषणा कराने का अधिकारी भी साबित होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है –

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम गोरेला तहसील नाथद्वारा के खाता सं. 24 मे कुल आराजी किता 26 कुल रकबा 22–13 बीघा, खाता सं. 25 मे कुल आराजी किता 12 कुल रकबा 16–19 बीघा, खाता सं. 22 मे कुल आराजी किता 2 कुल रकबा 00–06 बीघा एवं खाता सं. 23 मे कुल आराजी किता 1 कुल रकबा 0–01 बीघा कृषि भूमियो मे दलेलसिंह पिता हरीसिंह के बजाय **"दलपतसिंह पिता हरीसिंह"** अंकित करने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक **20.08.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकरी)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द